स्पाइसेस बोर्ड भारत
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
SPICES BOARD INDIA
Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India

संख्या. एमकेटी-एयूसी/0021/2015 **दिनांक: 16.12.2020**

<u>इलायची (अनुज्ञापन और विपणन)नियम,1987 के अनुसार इलायची की नीलामी आयोजित करने के लिए नीलामीकर्ता अनुज्ञप्ति देने के लिए आवेदन आमंत्रित करने की नोटिस।</u>

इलायची (अनुज्ञापन और विपणन)नियम 1987 (स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम 1986 के अनुसार संरचित) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत में इलायची की प्राथमिक बिक्री केरल के पुट्टडी में स्पाइसेस बोर्ड के ई-नीलामी केंद्रों और तमिलनाडु के बोडिनायकन्नूर में छोटी इलायची के लिए ई-नीलामी, अन्य राज्यों में छोटी इलायची के लिए मैनुअल नीलामी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ी इलायची के लिए मैनुअल नीलामी के माध्यम से की जाती है। स्पाइसेस बोर्ड, बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति नीलामीकर्ताओं और ब्यौहारियों (क्रेताओं) को नीलामी की सुविधा प्रदान करता है।

यह उल्लेखनीय है कि बोर्ड ने इलायची उद्योग के सतत विकास को सक्षम बनाने के प्रयोजन से इलायची (अनुज्ञापन और विपणन)नियम 1987 (आज तक संशोधित) में प्रगतिशील संशोधन लाने की प्रक्रिया शुरू की है। इस पृष्ठभूमि में, यह नोटिस इलायची (अनुज्ञापन और विपणन)नियम 1987 के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार जारी की जाती है। नियमों में ऐसे संशोधनों की अधिसूचना होने पर विद्यमान नीलामी दिशा-निर्देशों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।

*स्पाइसेस बोर्ड ने ब्लॉक अवधि 2017-2020 के लिए 13 नीलामकर्ताओं को ई-नीलामी कराने, तीन नीलामीकर्ताओं को मैनुअल नीलामी करने और देश भर के लगभग 600 ब्यौहारियों को नीलामी में भाग लेने के लिए अनुज्ञप्ति जारी किए हैं। बोर्ड ने दिनांक 16 जून, 2020 के परिपत्र संख्या एमकेटी-आरइजीएन/0002/2017-मार्केटिंग द्वारा सूचित विस्तार के अनुसार दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 के परिपत्र संख्या एमकेटी-आरइजीएन/ 0002/2017-मार्केटिंग द्वारा 31 मार्च, 2021 तक विद्यमान लाइसेंसों की वैधता बढ़ा दी है। इस संबंध में, बोर्ड **2021-23** की अवधि के लिए इलायची की नीलामी आयोजित करने के लिए नीलामीकर्ताओं को अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।*

उक्त अवधि के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने पर विचार करने के लिए वर्तमान नीलामकर्ताओं सहित संभावित उद्यमियों/नीलामकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। लागू विवरण, दिशानिर्देश और नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं। निर्धारित आवेदन-पत्र परिशिष्ट II के अनुसार हैं। आवेदकों को

आवेदन जमा करने से पहले इसे पढ़ने की सलाह दी जाती है। इस अधिसूचना से संबंधित कोई भी शुद्धिपत्र, कार्यसूची, संशोधन, समय विस्तार, स्पष्टीकरण आदि को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे संशोधनों/ शुद्धिपत्र पर ध्यान देने के लिए बोर्ड की वेबसाइट (www.indianspices.com) समय-समय पर देखते रहें।

नीलामी अनुज्ञप्ति देने के संबंध में स्पाइसेस बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। बोर्ड का किसी भी पात्रता शर्तों में संशोधन या आशोधन करने अथवा बिना कोई कारण बताए आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है अथवा सार्वजनिक हित में उपयुक्त प्रतीत होने पर बिना कोई कारण बताए नए सिरे से आवेदन मँगा सकता है।

आवेदकों का चयन दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा। दिशा-निर्देशों और अपेक्षित दस्तावेजों के अनुरूप पूरी जानकारी नहीं देने पर अथवा दिशा-निर्देशों और अपेक्षित दस्तावेजों के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत प्रस्ताव का पूर्ण रूप से न होना आवेदक के जोखिम पर होगा और ऐसे आवेदन छटनी के दौरान निरस्त किए जा सकते हैं। आवेदन आमंत्रित करने की नोटिस कोई प्रस्ताव नहीं है और बिना किसी प्रतिबद्धता के जारी की गई है। आवेदन प्रस्तुत करके प्रत्येक आवेदक को यह स्वीकार करना समझा जाएगा कि उसने दिशा-निर्देशों और अनुबंधों, यदि कोई हो, को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, और इनकी सभी विद्यमान शर्तों और सीमाओं के वह पूरी तरह अवगत है।

बिचौलियों के माध्यम से प्रस्तुत आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। अधूरे पाए गए आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। नीलामीकर्ताओं के रूप में जो अनुज्ञप्ति प्रदान करने पर विचार करने की प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक हैं, वे अपना **आवेदन, निदेशक (विपणन), स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, पालारिवट्टम पीओ, कोच्ची-682025 को भेजें।**

सामान्य

1. आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर "**2021-2023** के लिए नीलामीकर्ता अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन" के रूप में अंकित किया जाए और पंजीकृत डाक द्वारा श्री पी. एम. सुरेश कुमार, निदेशक (एमकेटीजी) स्पाइसेस बोर्ड, पालारिवट्टम पीओ, कोच्ची - 682 025, को भेजा जाए।
2. आवेदन जमा करने के लिए अंतिम तिथि **15 जनवरी, 2021** को सायं 5 बजे है।
3. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. आवेदन जमा करना अनुज्ञप्ति देने की गारंटी नहीं है। अनुज्ञप्ति, आवेदन और दस्तावेजों के सत्यापन और अनुज्ञप्ति देने हेतु निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर प्रदान किया जाएगा।
5. बोर्ड का अनुज्ञप्ति देने के लिए उद्योग के हितार्थ/जनहित के लिए आवश्यक पाए गए अतिरिक्त मानदंडों को शामिल करने का अधिकार सुरक्षित है।

<u>नीलामीकर्ता अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए दिशानिर्देश</u>

इलायची (अनुज्ञापन और विपणन)नियम 1987 और अब तक परवर्ती संशोधनों के अनुसार, नीलामीकर्ता अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:

1. बोर्ड ने तमिलनाडु के पुट्टडी, केरल और बोडिनायकन्नूर में छोटी इलायची के लिए ई-नीलामी केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों पर ही ई-नीलामी कराने के लिए अनुज्ञप्ति जारी किया जाएगा।
2. छोटी इलायची के लिए मैनुअल नीलामी केंद्र केरल और तमिलनाडु राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है।
3. बड़ी इलायची के लिए मैनुअल नीलामी केंद्र भारत में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है।
4. यदि नीलामीकर्ता एक से अधिक केंद्र में मैनुअल नीलामी करना चाहता है तो उसे प्रत्येक केंद्र के लिए अलग अनुज्ञप्ति लेना होगा।
5. नीलामीकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह स्पाइसेस बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार मैनुअल नीलामी के आयोजन की सुविधा स्थापित करे।
6. उल्लेखनीय है कि यद्यपि वर्तमान में स्पाइसेस बोर्ड के वर्तमान ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से मैनुअल नीलामी/ई-नीलामी आयोजित करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, लेकिन यदि आवश्यक पाया गया तो बोर्ड, किसी भी अनुमोदित प्लेटफार्म (ऑनलाइन सहित) के माध्यम से नीलामी का आयोजन कर सकता है, जिस स्थिति में इच्छुक नीलामीकर्ता ऐसे प्लेटफार्मों के माध्यम से नीलामी आयोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे प्लेटफार्म में नीलामी आयोजित करने के लिए भाग ले सकते हैं। इसमें अतिरिक्त भुगतान शुल्क/बैंक गारंटी आदि शामिल हो सकता है जैसाकि ऐसे दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
7. आवेदक को कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 अथवा भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932, अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
8. ई-नीलामीकर्ता अनुज्ञप्ति के लिए चयनित आवेदक को बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा करनी होगी, ताकि भुगतान में किसी भी चूक से इलायची किसानों की संरक्षा की जा सके। बैंक गारंटी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी बैंक से होगी। (*आंकड़ों के उपलब्ध*

रिकॉर्ड के आधार पर, 2017-2020 की अवधि के लिए, बैंक गारंटी की अनुमानित राशि 7.00 करोड़ रुपये होगी। हालांकि, बोर्ड उचित बैंक गारंटी राशि तय करने के लिए खंड में संशोधन का प्रस्ताव कर रहा है। इसलिए, बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा के रूप में प्रेषित की जाने वाली वास्तविक राशि को यथासमय चयनित आवेदकों को सूचित किया जाएगा)।

9. मैनुअल नीलामीकर्ता अनुज्ञप्ति देने के लिए बैंक गारंटी लागू नहीं है।
10. आवेदन के सत्यापन पर, बोर्ड उन संक्षिप्त-सूची के आवेदकों की सूची बनाएगा, जिन्हें अनुज्ञप्ति जारी करने से पहले अनुज्ञप्ति अवधि के दौरान वैध निर्धारित राशि के लिए बैंक गारंटी जमा करनी होगी।

सामान्य निबंधन और शर्तें

1. अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए शुल्क

   नीलामीकर्ता अनुज्ञप्ति के लिए देय शुल्क इस प्रकार है:

   क) मैनुअल नीलामी रुपए 15,000/- + जीएसटी 18% की दर से

   ख) ई-नीलामी रुपये 1,00,000 +जीएसटी 18% की दर से।
2. बोर्ड की सामान्य सुविधा का उपयोग करके ई-नीलामी कराने के लिए नीलामीकर्ता को नीलामी में बेची जाने वाली इलायची के 480 रुपये प्रति टन+जीएसटी 18% के उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होता है और जो आवश्यक पाए जाने पर, बोर्ड द्वारा संशोधन के अध्ययधीन होगा।
3. ऐसे राज्य में कोई मैनुअल नीलामीकर्ता अनुज्ञप्ति जारी नहीं किया जाएगा जहां बोर्ड ने आम ई-नीलामी केंद्र स्थापित किए हैं।
4. नीलामीकर्ता उन उत्पादकों को, जिनकी इलायची पूल की जाती है, उनकी नीलामी में बेची जाने वाली इलायची के लागू बिक्री मूल्य का नीलामी की तारीख से 10 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान करेगा। यदि नीलामीकर्ता अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार भुगतान करने में चूक करता है, तो बोर्ड बैंक गारंटी भुनाने और प्राप्त राशि का उत्पादकों को देय राशि के निपटान के लिए व्यवस्था करने और अनुज्ञप्ति के निलंबन और/या रद्द करने के लिए कार्रवाई शुरू करेगा।
5. मैनुअल नीलामी के मामले में, यदि नीलामीकर्ता अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार भुगतान करने में चूक करता है, तो बोर्ड नीलामीकर्ता के विरुद्ध अनुज्ञप्ति के निलंबन और/या रद्द करने सहित कार्रवाई शुरू करेगा।
6. नीलामीकर्ता को किसानों को सुविधाजनक स्थानों में इलायची पूल करने के लिए बोर्ड की संतुष्टि के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करनी होगी। ऐसे पूलिंग केंद्रों में नीलामीकर्ताओं को

इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनें और नमी मीटर उपलब्ध करवाने होंगे जिनका बोर्ड का कोई भी अधिकारी सुगमता से निरीक्षण कर सके।

7. नीलामीकर्ता किसी स्थान पर और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट एक दिन और समय पर नीलामी का संचालन करेगा। यदि नीलामीकर्ता, बोर्ड द्वारा निर्धारित नीलामी का संचालन करने में सक्षम नहीं है, तो बोर्ड की संतुष्टि के लिए वैध कारणों के साथ लिखित रूप में बोर्ड को तुरंत सूचित करेगा। नीलामी का कोई भी रद्दीकरण/गैर-आयोजन केवल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से ही होगा।
8. नीलामीकर्ता पूलिंग के लिए प्रस्तावित इलायची के प्रत्येक लॉट में से 1500 ग्राम (किसान द्वारा यथावांछित नीलामी के लिए पूल इलायची की मात्रा) निकालेगा और निकाले गए नमूने की मात्रा उस व्यक्ति को जारी फसल पर्ची में दर्ज करेगा जिसकी इलायची पूल की गई है। निकाले गए नमूने में से 100 ग्राम को क्रेता के नमूने के रूप में अलग रखा जाएगा और 50 ग्राम को नीलामी केंद्र में प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। शेष 1350 ग्राम इलायची का उपयोग नीलामीकर्ता उक्त लॉट की बोली प्रक्रिया के दौरान नमूने के रूप में वितरित करने के लिए कर सकता है। नीलामीकर्ता उस व्यक्ति को नीलामी में वितरण के लिए उपयोग की जाने वाली 1350 ग्राम इलायची का मूल्य वापस करेगा जिसने इलायची पूल की है। इसलिए, नीलामीकर्ता, इलायची पूल करने वाले व्यक्ति को देय कुल राशि, नमूना वापसी मूल्य और वह मूल्य जिस पर नीलामी में लॉट बेचा गया है, के योग में से कुल राशि पर पात्र 1% कमीशन काटने के बाद, शेष राशि होगी।
9. इलायची पूल करने वाले व्यक्ति से एक प्रतिशत कमीशन के अलावा, किसी भी नाम पर, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं काटा जा सकता, चाहे वह अवशेष हो, वजन हानि, दान आदि हो। यदि कोई नीलामकर्ता एक प्रतिशत कमीशन के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क वसूल करता पाया गया तो बोर्ड द्वारा निलंबन/अनुज्ञप्ति रद्द करने सहित कार्रवाई शुरू की जाएगी।
10. नीलामीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि नीलामी में पूल की गई इलायची किसी भी मिलावट, संदूषण और कृत्रिम रंग से मुक्त है।
11. यदि नीलामीकर्ता स्पाइसेस बोर्ड के अनुज्ञप्ति/निर्देशों के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन पाया गया तो बोर्ड नीलामीकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेगा, जो अनुज्ञप्ति को निलंबित करने और/या रद्द करने तक ही सीमित नहीं है।

Annexure-I

Affix passport size photo of CEO or the designated officer of the firm

FORM-A
[See rules 4(1) and 5(1)]

Application for issue of license as auctioneer for conducting manual/electronic/online auction
(Please specify)

(1)Name of the Person/Firm (in block letters) :

(2)Address of principal / registered office

Building No.
Building Name
Street
City Pin
State
Tel.
Mobile
Fax
E-mail ID

(3)Status of the Company (Please tick where appropriate)

Proprietorship [ ] Private Limited Company [ ]
Hindu Joint Family [ ] Public Limited Company [ ]
Partnership [ ]

Public Sector (CentralGovt) [ ]
Co-operative Society [ ] Public Sector (State Govt) [ ]
Others, Specify

(4)Full Name and permanent address of the proprietor/partners/directors
(Attach additional sheets wherever required)

Name
Building No.
Building Name

Street

City Pin

State

Tel.

Mobile

Fax

E-mail ID

(5) Permanent Account Number (PAN)

(6)Tax Registration
(Attach self-attested copies)

Goods & Services Tax (GST)

Date of Issue

Place of Issue

(7) Indicate whether the applicant was issued with licence as auctioneer by the Spices Board
(Please tick where appropriate)

YES ☐ NO ☐

If YES, indicate
(a)Licence Number

Date of Issue

Type/mode of Auction.....................................

Place of Auction ....

Day of Auction ....

Time of Auction ....

(b) Quantity and value of cardamom auctioned during the last three years of operation

Year	Quantity (MT)	Value (Rs. in Lakhs)

(c) Indicate category based on average turnover per auction in the last three years of operation
(Please tick where appropriate)

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

(A- Rs. 10 crore & above, B- Rs. 5-10 crore, C- Rs.1- 5 crore, D- less than Rs. 1 crore)

(8) If the application is for conducting manual/online auction, indicate the following

Proposed place of auction

Proposed day of auction

Proposed time of auction

Proposed frequency

(9) Details of fee remitted

Amount Rs.

Mode of Payment Bank Transfer ☐ DD ☐

UTR/DD No. Date

Name of the Bank

(10)Infrastructure Facilities

(i)Details of Storage

Type	**Location & Address**	**Floor Area (sq ft)**	***Seating/Storage Capacity**
Godown			
Collection Depot I			
Collection Depot II			
Collection Depot III			
Auction Hall**			

(Attach additional sheets wherever required)
*(*Seating Capacity of auction hall & storage capacity (MT) of warehouse and collection depots)*
*(** For conduct of manual & online auction only)*

(ii) Other facilities available

(a) Grading Facility	Yes ☐	No ☐
(b) Weighing Machine	Yes ☐	No ☐
(c) Moisture Meter	Yes ☐	No ☐
(d) Tables/Chairs	Yes ☐	No ☐
(e) Computer Facilities	Yes ☐	No ☐

(f) Total floor area for storage (sq ft) ____________

(g) Transportation Facility	Yes ☐	No ☐
(h) Parking facility for vehicles	Yes ☐	No ☐
(i) Road Facility for movement of vehicles to the warehouse/depot	Yes ☐	No ☐
(j) Packing Facility	Yes ☐	No ☐
(k) Pallets Facility	Yes ☐	No ☐
(l) Sieving Facility	Yes ☐	No ☐
(m) Adequate Lighting	Yes ☐	No ☐

(n) Floor Surface of central warehouse/ collection depot (Cement/Tiles/Others) ____________

(o) Lot Sample Display Board	Yes ☐	No ☐
(p) Auction Details Display Board	Yes ☐	No ☐

11) Provide details of financial capacity

(a) Working capital available Rs. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(b) Capital structure

Authorized capital Rs. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Paid up capital Rs. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

DECLARATION

I/We.. declare that the information given above are true to the best of my/our knowledge and belief that I/We shall abide by the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987, Cardamom (Licensing and Marketing) Amendment Rules (amended up to 2018) and any instructions given by the Board from time to time regarding the conduct of business.

Place:
Date:

Signature
Name:
Designation:

Note : Applications which are not accompanied with the prescribed fee shall not be entertained.

Annexure-II

SELF ATTESTED COPIES OF SUPPORTING DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION

All applicants

a) Copy of PAN card.
b) Copy of GST Registration.
c) Copy of the Audited Balance sheet for 3 years up to 31.3.2019.
d) Copy of acknowledgement of IT Return 3 years up to 31.3.2019.
e) Copy of GST Return Acknowledgement for March 2020.
f) Copy of ESI registration (if applicable).
g) Copy of PF registration (if applicable).

In addition to the above, the following additional documents are to be submitted by the applicants based on the category of applicants they belong to :

1)Category: Companies:

a) Copy Memorandum of Association/Articles of Association.
b) Copy of Certificate of Incorporation.
c) Copy of Latest Annual Return (form MGT-7).
d) Copy of Self declaration that none of the Directors of the Company are disqualified to act as Director as on date of application.
e) Name, Residential address of Directors with profile.
f) Copies of Aadhar of Directors.
g) Copies of PAN card of Directors.
h) Copy of DIN Number of Directors.

2)Category: Partnership/proprietorship.

a) Copy of Partnership firm Registration Certificate (if applicable).
b) Copy of Partnership deed (if applicable).
c) Name, Residential address and details of partners/proprietor.
d) Copy of Aadhar of Partners/proprietor.
e) Copy of PAN card of Partners/proprietor.

3) Category : Multi-state co- operative societies registered under the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002) or a charitable society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860)

a) Copy of registration certificate.
b) Copy of Bye Laws.
c) Name, Residential address and details of the current Office bearers / trustees.
d) Copy of Aadhar of office bearers / trustees.
e) Copy of PAN card of office bearers / trustees.

DETAILS OF THE INFRASTRUCTURE FACILITIES

I . Details of Collection Depots

Location with Address	Nature of building	Ownership of the building (owned / leased/ rented)	Collection Depot building Length, Breadth, Height (in feet)	Storage capacity of the collection Depot (Tons)	Moisture Meter available in the collection Depot	No. of Electronic Weighing machine available in the collection Depot

(In the case of ownership, please attach self-attested copies of building certificate from Local authority as proof for ownership of the building. In case of leased / rented building, please attach self-attested copies of the lease deed copy / rental agreement.

II. Details of Storage facilities (storage facilities other than the storage in collection depots)

Location	Postal Address	Nature of Building	Ownership of the building (owned / leased/rented)	Storage building / godown Length, breadth, height (in feet)	Storage Capacity

(In the case of ownership, please attach self-attested copies of building certificate as proof for ownership of the building. In case of leased / rented building, please attach self-attested copies of the lease deed copy / rental agreement.

III. Facilities for cleaning and grading of cardamom

Location	Postal address	Type of Cleaning facility (Manual / Mechanical)	No of cleaning equipment and capacity of the equipment	Type of grading facility (Manual/ Mechanical)	No of grading equipment and capacity of the equipment